# संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

**6 वीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश**
e-mail-nmsahorti@mp.gov.in,website-www.mphorticulture.gov.in

क्र./उद्यान/PMKSY/अ.भू.यो./2021–22/228 भोपाल, दिनांक 08/07/2022
प्रति,

उप/सहायक संचालक उद्यान,
जिला–सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ एवं निवाडी

विषयः– अटल भूजल योजना अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य आंवटित करने बावत।

–00–

उपरोक्त विषयांतर्गत अटल भूजल योजना अंतर्गत ड्रिप, मिनि स्प्रिंकलर एवं पोर्टेबल स्प्रिंकलर के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य संलग्न पत्रक अनुसार जारी किए जा रहे है। लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अटल भूजल योजना का कियान्वयन निम्नानुसार निर्देशों का पालन कर किया जावे :–

1. योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश के बुन्देलखण्ड अंचल में भूजल संकट से प्रभावित सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ एवं निवाडी जिले के 09 विकासखण्डों सागर, पथरिया, छतरपुर, नौगांव, राजनगर, बल्देवगढ़, पलेरा, अजयगढ़ एंव निवाड़ी के कृषकों को ही लाभांवित किया जावे।
2. उक्त 09 विकासखण्डों की ग्राम–पंचायतों में प्रचार–प्रसार किया जावे। (सूची संलग्न)
3. कृषकों का MPFSTS पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीयन हेतु अभियान चलाया जावे।
4. ड्रिप, मिनि स्प्रिंकलर एवं पोर्टेबल स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के घटक **"पर ड्रॉप मोर कॉप"** (माइको इरीगेशन) योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी वर्ष 2021 की गाईडलाईन एवं दिशा–निर्देशानुसार ही कियान्वयन किया जावे। (PMKSY योजना के कियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय दिशा–निर्देश जारी किए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है)
5. योजना का कियान्वयन MPFSTS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन किया जावे।
6. भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य जो कि प्रदाय किए जा रहें है उसमें वित्तीय लक्ष्यों के आधार पर ही प्रगति की जावे। योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति MPFSTS पोर्टल अनुसार मान्य की जावेगी।
7. योजना अन्तर्गत कम से कम 50 प्रतिशत लघु सीमांत, 30 प्रतिशत महिला, 16.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 8.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति कृषको को लाभांवित किया जाना सुनिश्चित करें।

8. योजना अंतर्गत हितग्राही को अटल भूजल योजना या PMKSY योजना या कृषि विभाग की PMKSY योजना में से किसी एक ही योजना से ड्रिप, मिनि/माइक्रो स्प्रिंकलर एवं पोर्टेबल स्प्रिंकलर हेतु लाभांवित किया जावे।
9. योजना अंतर्गत लक्ष्यों की भौतिक एवं वित्तीय पूर्ति चालू वित्तीय वर्ष में ही की जावे, कोई भी प्रकरण आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लंबित न रखा जावे।
10. उक्त प्रदाय लक्ष्यों के विरूद्व अनुदान का भुगतान PFMS के माध्यम से किया जावे।
11. अटल भूजल योजना अंतर्गत अनुदान का भुगतान सीधे हितग्राही के बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से किया जावे।

संलग्नः–भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(निधि निवेदिता)
संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्यप्रदेश

क्र./उद्यान/PMKSY/अ.भू.यो./2021–22/229 भोपाल, दिनांक 08/07/2022
प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि इस योजना अंतर्गत उक्त जिलों के 09 विकासखण्ड सागर, पथरिया, छतरपुर, नौगांव, राजनगर, बल्देवगढ़, पलेरा, अजयगढ़ एंव निवाड़ी के कृषकों का ही पंजीयन हो सके ऐसी MPFSTS पोर्टल पर व्यवस्था की जावे। (ग्राम–पंचायत सूची संलग्न) तथा PMKSY योजना के कियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय दिशा–निर्देश जारी होने उपरांत ही अटल भूजल योजना के लक्ष्य MPFSTS पोर्टल पर अपलोड किए जावे।
2. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
3. संचालक, कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल।
4. कलेक्टर जिला– सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ एवं निवाडी।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला–पंचायत, जिला– सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ एवं निवाडी।
6. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, अटल भूजल योजना, भोपाल।
7. संयुक्त संचालक उद्यान, संभाग–सागर।
8. पंजीकृत निर्माता कंपनी (PMKSY)।

संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्यप्रदेश